# नए शैक्षणिक सत्र में गरीब बच्चों के प्रवेश को प्राथमिकता

## चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिये शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत **निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश को प्राथमिकता पर लिया है।**

## मुख्य बिंदु:

- सूत्रों के अनुसार, राज्य के 31,857 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिये **3.08 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन किया था।**
  - निजी स्कूलों में **25% सीटें समाज के कमज़ोर वर्ग** के छात्रों से भरी जाएंगी।
- **प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय** ने स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं और कक्षा 1 में RTE प्रवेश हेतु दो श्रेणियों के लिये आयु सीमा तय करते हुए एक प्रावधान किया है।
  - तीन से चार वर्ष की आयु के बच्चों को प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है और छह से सात वर्ष के बीच के बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश पाने के पात्र होते हैं।
- राज्य में बड़ी संख्या में **निजी स्कूलों** ने प्री-प्राइमरी कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश को लेकर **चिंता व्यक्त की है** क्योंकि इस श्रेणी को वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा किसी छात्र को कक्षा 1 में पदोन्नत होने तक तीन वर्ष की **फीस के भुगतान के लिये किसी स्पष्ट दिशा-निर्देश के बिना जोड़ा गया था।**

## शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के तहत वर्ष 2009 में बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया तथा इसे **अनुच्छेद 21-A** के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया।
- RTE अधिनियम का उद्देश्य **6 से 14 वर्ष की आयु** के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।
- **धारा 12 (1) (C)** में कहा गया है कि **गैर-अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमज़ोर** और वंचित पृष्ठभूमि के **बच्चों के लिये प्रवेश स्तर ग्रेड में कम- से-कम 25% सीटें आरक्षित करें।**
- यह **गैर-प्रवेशित बच्चे को आयु के अनुरूप** कक्षा में प्रवेश देने का भी प्रावधान करता है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच **वित्तीय एवं अन्य ज़िम्मेदारियों को साझा करने** के बारे में भी जानकारी देता है।
  - भारतीय संविधान में शिक्षा **समवर्ती सूची** का विषय है और केंद्र व राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं।
- यह छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR), भवन और बुनियादी ढाँचा, स्कूल-कार्य दिवस, शिक्षकों के लिये कार्यावधि से संबंधित **मानदंडों तथा मानकों** का प्रावधान करता है।
- इस **अधिनियम में गैर-शैक्षणिक कार्यों** जैसे- स्थानीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनावों तथा आपदा राहत के अलावा **अन्य कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान करता है।**
- यह **अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति** का प्रावधान करता है।
- **यह निम्नलिखित का निषेध करता है:**
  - शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न।
  - बच्चों के प्रवेश के लिये स्क्रीनिंग प्रक्रिया।
  - प्रति व्यक्ति शुल्क।
  - शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन।
  - बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय।
- यह **बच्चे को उसके अनुकूल और बाल केंद्रित शिक्षा अधिगम** के माध्यम से भय, आघात एवं दुश्चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/admissions-of-poor-children-on-priority-in-new-academic-session